ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–100/2021
स्तुति दिनांक–26.08.2021
दिनांक–04.09.2024

ादीश पुत्र मूलचन्द जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ा पुत्री मूलचन्द जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
यर पुत्री मूलचन्द जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
प्यारी पुत्री मूलचन्द जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

ग्मा उर्फ लखमा पत्नि सुवालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक
ा पत्नि रामरतन जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ग्मन पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
सीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

क्ता वादीगण–श्री कैलाश चौधरी
क्ता प्रतिवादी संख्या 01–श्री चतुर्भुज गुर्जर

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी जगदीश वगै0 बनाम लछमा उर्फ लखमा वगै0 प्रकरण 100/2021 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 99 रकबा 0.1770 हैक्ट. वाके ग्राम टियां, पटवार हल्का पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में ी संख्या 01 ता 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रखी है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 जस्व रिकॉर्ड में 1/48 हिस्सा अंकित हो रखा है। उक्त भूमि आराजी ख0न0 99 रकबा 00–14 बीघा है। ह पीपलू को ऑन लाईन करने के कारण उक्त ख0न0 का रकबा अब हैक्ट. में बदल दिया गया है। इसलिए ा में उक्त ख0न0 का रकबा 0.1770 हैक्ट. के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रखी है। भूमि ख0न0 बा 00–14 बीघा ग्राम पांसरोटियां तह0 पीपलू के 1/48 हिस्से को खातेदार प्रतिवादी संख्या 03 से वादीगण ा मूलचन्द पुत्र सुखा रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 15.10.2012 जिसका पंजीयन उप पंजीयक पीपलू के यहां पर पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 15 में पृष्ठ

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

75 क्रम संख्या 2012002875 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति. पुस्तक संख्या प्रथम की जिल्द संख्या 58 ठ संख्या 69 से 78 पर चस्पा किया गया है, के द्वारा 10,000 रूपये में वादीगण के पिता मूलचन्द व प्रतिवादी 01 ने बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया था अर्थात उक्त आराजी के 1/96 हिस्से को वादीगण के पिता ोद किया था। उक्त भूमि का नामान्तकरण का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि /48 हिस्सा सम्पूर्ण को गलत रूप से प्रतिवादीयां संख्या 01 के नाम अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त ो में 1/96 हिस्सा वादीगण के पिता मूलचन्द जी द्वारा खरीद किया था। वादीगण के पिता स्व. मूलचन्द उक्त 1/96 हिस्से पर बहैसियत मालिक, स्वामी के अपने जीवन काल तक काबिज चल रहे है। इस कारण ण को उक्त भूमि 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम र रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर आराजीयात पारित फरमायी जाकर उक्त भूमि ख0न0 99 रकबा 0.1770 14 वीघा) वाके ग्राम पांसरोटियां के 1/96 हिस्से का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी प राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अमल दरामद कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से क्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की पक्षकारो में पूर्व में : था। लेकिन अब राजीनामा होने के कारण कोई विवाद नही है। वादपत्र में चाहा गया अनुतोष "अ" स्वीकार तः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए न किया की भूमि आराजीख0न0 99 रकबा 0.1770 हैक्ट. वाके ग्राम पांसरोटियां में स्थित है। उक्त वर्णित ीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रखी है। उक्त आराजीयात तेवादी संख्या 01 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/48 हिस्सा अंकित हो रखा है। भूमि ख0न0 99 रकबा 00–14 ग्राम पांसरोटियां तह0 पीपलू के 1/48 हिस्से को खातेदार प्रतिवादी संख्या 03 से वादीगण के पिता मूलचन्द ुखा रेगर निवासी ग्राम पांसरोटियां एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10. को 10,000 रूपये में वादीगण के पिता मूलचन्द व प्रतिवादी संख्या 01 ने बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया र्थात उक्त आराजी के 1/96 हिस्से को वादीगण के पिता ने खरीद किया था। उक्त भूमि का नामान्तकरण ामान्तकरण राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि के 1/48 हिस्सा सम्पूर्ण को गलत रूप से ादीया संख्या 01 के नाम अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त आराजी में 1/96 हिस्सा वादीगण के पिता न्द जी द्वारा खरीद किया था। वादीगण के पिता स्व. मूलचन्द अपने उक्त 1/96 हिस्से पर बहैसियत क, स्वामी के अपने जीवन काल तक काबिज चल रहे है। इस कारण वादीगण को उक्त भूमि 1/96 हिस्से ातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया र डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत् उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर आराजीयात पारित फरमायी जाकर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि ख0न0 99 रकबा 0.1770 (00–14 बीघा) वाके ग्राम पांसरोटियां के 1/96 हिस्से का वादीगण को तन्हा ार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अमल दरामद कराया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया की पक्षकारो में पूर्व में विवाद था। लेकिन अब ामा होने के कारण कोई विवाद नही है। वादपत्र में चाहा गया अनुतोष "अ" स्वीकार है। अतः वाद वादीगण कर दिया जावे तो हम प्रतिवादी संख्या 01 को कोई उज्र आपत्ति नही है।

हमने बहस वादीगण सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा विक्रय पत्र का अवलोकन किया ़वं वादीगण की बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रय पत्र एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार ण के पिता मूलचन्द पुत्र सुखा जाति रेगर निवासी ग्राम पांसरोटिसयां द्वारा भूमि आराजी ख0न0 99 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम पांसरोटियां, पटवार हल्का पांसरोटियां के ख0न0 99 रकबा 00–14 बीघा में से प्रतिवादी 03 लछमन पुत्र नारायण जाति जाट से 1/48 हिस्सा वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 ने संयुक्त ो 1/48 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2012 को बिलएवज मु. 10,0000 रूपये से खरीद जाना स्पष्ट है। मुताबिक विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा क्रेतागण से राशि नकद प्राप्त कर मौके पर मालिकाना वास्तविक रूप से दे दिया है। वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण के पिता द्वारा खरीद किया स्पष्ट होता हैं। विक्रयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 15.10.2012 को विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया हैं। जबकि उक्त भूमि का नामान्तकरण का तकरण राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि के 1/48 हिस्सा सम्पूर्ण को गलत रूप से ादीया संख्या 01 के नाम अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त आराजी में 1/96 हिस्सा वादीगण के पिता न्द जी द्वारा खरीद किया था, जो त्रुटीपूर्ण है। उक्त वाद वादीगण को मुताबिक विक्रय पत्र डिक्री किये जाने तेवादी संख्या 01 ने भी सहमति जाहिर की है। जिनको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार ाकार घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा कारित नहीं होती है। अतः वादीगण का वाद वादीगण स्वीकार जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण जगदीश पुत्र मूलचन्द, सीता पुत्री मूलचन्द, सायर पुत्री न्द, रामप्यारी पुत्री मूलचन्द को भूमि आराजी ख0न0 99 रकबा 00–14 बीघा (0.1770 हैक्ट.) वाके ग्राम ोटियां, पटवार हल्का पांसरोटियां में प्रतिवादी संख्या 01 लछमा उर्फ लखमा पत्नि सुवालाल जाति रेगर सा.देह दार का दर्ज हिस्सा 1/48 में से 1/2 हिस्से अर्थात 1/96 हिस्से का बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार ाकार घोषित किया जाता हैं। खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं ानुसार नम्बर से कम हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)